

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4

देहरादून: दिनांक 14 दिसम्बर, 2011

विषय-अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के संशोधन/उच्चीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-06(4)/63340/134/2011-12, दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन विसंगति समिति द्वारा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के सम्बन्ध में दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयानुसार, शासनादेश संख्या: 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के संलग्नक-1 के कॉलम-2 के अनुसार समूह 'घ' के दिनांक 01-01-2006 से पूर्व वेतनमान क्रमशः ₹ 2550-3200, ₹ 2610-3540 तथा ₹ 2650-4000 के पदों पर दिनांक 01-01-2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य वर्तमान वेतन बैंड-1-एस0, ₹ 4440-7400 तथा ग्रेड वेतन क्रमशः ₹ 1300/-, ₹ 1400/- एवं ₹ 1650/- के स्थान पर तात्कालिक प्रभाव से वेतन बैंड-1 ₹ 5200-20200 एवं ₹ 1800/- के ग्रेड वेतन में उच्चीकरण/संशोधन निम्नलिखित शर्तों के अनुसार किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (i) शासनादेश संख्या: 283/xxvii(7)/2010 दिनांक 07 जनवरी, 2010 द्वारा समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिये लागू की गयी स्टाफिंग पैटर्न की व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से समाप्त हो जायेगी। उक्त शासनादेश के लागू होने के फलस्वरूप समूह 'घ' के जिन कर्मचारियों द्वारा ₹ 1900/- का ग्रेड वेतन का लाभ ले लिया है उन्हें उक्त ग्रेड पे ₹ 1900/- वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होगा।
- (ii) समूह 'घ' के ग्रेड पे ₹ 1300/-, ₹ 1400/- एवं ₹ 1650/- के समस्त पदों को समाप्त कर दिया जायेगा, जहां पर ग्रेड पे ₹ 1800/- के पद कम पड़ते हैं (कार्यरत पदों की संख्या से) वहां पर उस सीमा तक ₹ 1300/-, ₹ 1400/- एवं ₹ 1650/- के पद ₹ 1800/- के ग्रेड पे में उच्चीकृत कर दिये जायेंगे।

(iii) ₹ 1800/- की ग्रेड पे पर कार्यरत समूह 'घ' के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, पदोन्नति अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर यह पद स्वतः समाप्त होते जाएंगे अर्थात् समूह 'घ' के कर्मचारियों के लिए सम्प्रति उपलब्ध ₹ 1800 ग्रेड पे का एक मात्र पद डाईंग कैडर होगा। भविष्य में चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद पर भर्ती/नियुक्ति नहीं की जाएगी। समूह 'घ' के कार्य यथा आवश्यकता आउटसोर्सिंग के माध्यम से कराये जाएंगे।

2- शासनादेश संख्या-877/XXVI(7) च.क्षे./2011,दिनांक 24 मार्च, 2011 के क्रम में समय-समय पर निर्गत स्पष्टीकरण संशोधन भी नियमानुसार लागू होंगे।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 सं0-111A/XXVII(7)/2011,दिनांक 14.12.2011में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।


भवदीय,
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या-1109 xxiv-4/2011, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।